प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 02/2025

अपीलार्थी बनाम **रेस्पोडेन्टस**

नेमीचन्द पुत्र रायचन्द जैन,
निवासी– जैन धर्मशाला के पास,
सिरोही रोड, तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

लोक सूचना अधिकारी
(अति0 संभागीय आयुक्त)
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24 सितम्बर, 2025

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.06.2025 को प्रेषित आवेदन में पंचायत एक्ट में निगरानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 97 (1) राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 में ठिकाणा व स्टेट टाईम के पट्‌टो के नियम लागू होते है तो उक्त नियम की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। आवेदन के अनुसार एक माह व्यतित हो जाने के पश्चात वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने के आधार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को यह प्रथम सूचना अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 27.8.2025 नियत की जाकर अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तिथी को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ. 2025/94 दिनांक 21.08.2025 द्वारा मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित की गई। दौराने सुनवाई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विभागीय प्रतिनिधि, कार्यालय हाजा ने उक्त प्रेषित टिप्पणी को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2025 के सम्बन्ध में पंचायत शाखा कार्यालय हाजा की टिप्पणी के अनुसार पंचायत शाखा के द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं किया जाना एवं पंचायत शाखा से सम्बन्धित नहीं होने से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, उल्लेखित किया गया है। पंचायत शाखा से प्राप्त उक्त के सूचना अनुसार आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 74 दिनांक 18.7.2025 के द्वारा वांछित सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2025 बाबत कार्यालय की पंचायत शाखा की टिप्पणी के अनुसार पंचायत शाखा के द्वारा उक्त नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं किया जाना एवं पंचायत शाखा से सम्बन्धित प्रकरण नहीं होने से कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, उल्लेखित किया गया है तथा पंचायत शाखा से प्राप्त उक्त सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा के अपीलान्ट/आवेदक को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक 74 दिनांक 18.7.2025 के द्वारा वांछित सूचना भिजवाई जा चुकी है। ऐसे में प्रार्थी/आवेदक के आवेदन के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा जो कार्यवाही निष्पादित की गई है, वह नियमानुसार की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2025 में अंकित विषय से सम्बन्धित 20 साल से भी अधिक अवधि के पुराने रिकार्ड की प्रतियॉ उपलब्ध करवाने हेतु/प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलान्ट चाहे तो इस विषय से सम्बन्धित अन्य लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वांछित दस्तावेजों की सूचना प्राप्त कर सकते है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 24 सितम्बर 2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर